

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 1286/15

संस्थित दिनांक-16.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

मोहनसिंह पुत्र मुन्नालाल राठौर उम्र 27 साल

निवासी वार्ड क0 1, छत्तरपुरा गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 17.03.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 14.12.15 को समय 18:00 बजे थाने के सामने हाईवे भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम0पी0-30 जी0411 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी सतेन्द्र की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की तथा उक्त वाहन को बिना फिटनिस प्रमाण पत्र के परिवहन किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 14.12.15 को शाम करीब 6 बजे फरियादी सतेन्द्र अपने चाचा मानसिंह के साथ मोटरसाईकिल नंबर एम0पी0-30 एम0एच0-6248 से अपने घर ग्राम नावली जा रहा था। जैसे ही थाना गोहद चौराहा के सामने से भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर पहुंचा तभी मालनपुर की तरफ से एक महिन्द्रा मैक्स क0 एम0पी0-30 जी0411 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए लाया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से फरियादी के दाएं पैर के पंजे में खून निकल आया और छाती में चोट आई। फरियादी को मानसिंह व हाकिमसिंह ने उठाया। उक्त वाहन महिन्द्रा मैक्स रुकी तब उसके चालक का नाम पता पूछा तो अभियुक्त ने अपना नाम पता बताया। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-284/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, नक्शामौक बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, जब्ती कर जब्ती पत्रक, गिर0 कर गिर0 पत्रक बनाया गया, वाहन की मैकेनिकल जांच कराई गयी। बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 14.12.15 को समय 18:00 बजे थाने के सामने हाईवे भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम0पी0-30 जी0411 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2. क्या उक्त दिनांक, समय पर फरियादी सतेन्द्र को कोई चोटें मौजूद थीं ?

3. क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर सतेन्द्र को साधारण उपहति कारित की ?

4. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना फिटनिश प्रमाणपत्र के चलाया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5 अभियोजन की ओर से प्रकरण में सतेन्द्र अ0सा0 1, मानसिंह अ0सा0 2 रामकरन शर्मा अ0सा0 3, गंगाराम अ0सा0 4, सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 5, डा0 धीरज गुप्ता अ0सा0 6 हाकिमसिंह अ0सा0 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 //

6. फरियादी सतेन्द्र अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में कथन करते हैं कि दिनांक 14.12.15 को शाम 6 बजे गोहद चौराहा से अपने गांव नावली चाचा मानसिंह के साथ मोटरसाईकिल क्र० एम0पी0-30 एम0एच0-6248 से जा रहे थे। वे मोटरसाईकिल चला रहे थे जबकि चाचा पीछे बैठे थे। थाना गोहद चौराहे के सामने पहुंचे तो मालनपुर तरफ से एक महिन्द्रा मैक्स क्र० एम0पी0-30 जी0411 का चालक उसको बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। टक्कर से साक्षी उसके दाए पैर के पंजे, छाती में चोट होने का कथन करता है। साक्षी पुलिस को इस घटना की रिपोर्ट प्र०पी0 1 के रूप में किया जाना जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता है। यह भी कथन करता है कि पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था। मानसिंह अ0सा0 2 अपने अभिसाक्ष्य में फरियादी सतेन्द्र के अभिसाक्ष्य का समर्थन करते हैं और अपने अभिसाक्ष्य में कथित महिन्द्रा मैक्स के चालक द्वारा बहुत तेज और रॉग साईड में आकर मोटरसाईकिल में टक्कर मार देने, जिससे सतेन्द्र को पैर व छाती में चोट आने व स्वयं भी थोड़ी सी चोट पैर में आने का कथन करते हैं। साक्षी पुलिस द्वारा आहत सतेन्द्र की चिकित्सा कराए जाने और स्वयं को ज्यादा चोट न होने से चिकित्सा न कराए जाने का कथन करते हैं।

7. प्रकरण में हाकिमसिंह अ०सा० 7 फरियादी सतेन्द्र का बुलैरो जैसी मालगाड़ी से एक्सीडेंट हो जाने का कथन करते हैं। साक्षी सतेन्द्र को अस्पताल ले जाने का भी कथन करते हैं। साक्षी को अभियोजन का मामला पूर्णतः समर्थन न किए जाने से पक्षद्रोही घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए, उनमें साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि दुर्घटना में सतेन्द्र के दाए पंजे में चोट होकर खून निकल आया था तथा छाती में चोट आई थी। प्रकरण में आहत सतेन्द्र को आई चोट के संबंध में अभियोजन साक्षियों को कोई चुनौती नहीं दी गयी है। अभियुक्त की ओर से फरियादी सतेन्द्र को आई चोट उसके मोटरसाईकिल पर तीन लोगों के बैठे होने से अनियंत्रित हो जाने के कारण गिर जाने के फलस्वरूप कारित होने के संबंध में सुझाव दिया गया है जिसे साक्षी सतेन्द्र अ०सा० 1, मानसिंह अ०सा० 2 द्वारा अस्वीकार किया गया है। पक्षद्रोही साक्षी हाकिमसिंह अ०सा० 7 के अभिसाक्ष्य में फरियादी की चोटों के संबंध में किए गए कथन को अभियुक्त की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गयी है।

8. प्रकरण चिकित्सक डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 6 अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन करते हैं कि दिनांक 14.12.15 को वे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में मेडीकल आफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को फरियादी सतेन्द्र को थाना गोहद चौराहा का आरक्षक मूलचंद मेडीकल परीक्षण हेतु लाया था जिसे परीक्षण करने पर निम्न चोट पाई थी –

1—एक कटा फटा घाव जो दाहिने एंकल के अंदर की ओर था जिसका आकार 2 गुणा 1 गुणा 1 सेमी० था। उक्त चोट के लिए एक्सरे की सलाह दी गयी थी।

2—खरोंच दाए पैर के नीचे की ओर थी जिसका आकार 2 गुणा 1 सेमी० था।

3—आहत द्वारा छाती में दर्द बताया गया था किन्तु कोई बाहरी चोट दिखाई नहीं दे रही थी।

9. इस प्रकार से डा० धीरज गुप्ता अ०सा० 6 ने फरियादी सतेन्द्र को उक्त तीन चोटें परीक्षण में पाए जाने का कथन करते हुए अभिमत दिया है कि उक्त चोटें कठोर एवं भौथरी वस्तु से शून्य से 06 घण्टे के अंदर कारित होने की सुसंगत राय दी है। उक्त चोटें सामान्य प्रकृति की होने की राय दी है। दिनांक 15.12.15 को एक्सरे परीक्षण करने पर फरियादी को कोई अस्थिभंग नहीं पाए जाने का कथन किया है। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्रपी० 6 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किए हैं। चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट प्र०पी० 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन सुसंगत होते हुए चिकित्सक द्वारा उसके पदीय कर्तव्य के निर्वहन में निष्पादित किए जाने से उस पर अविश्वास का कोई भी आधार नहीं है। साक्षी सतेन्द्र अ०सा० 1, मानसिंह अ०सा० 2, हाकिमसिंह अ०सा० 7 के मौखिक साक्ष्य, प्रपी० 1 की प्राथमिकी एवं प्र०पी० 6 की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट युक्त दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियुक्त की ओर से घटना दिनांक 14.12.15 को सुसंगत समय शाम करीब 6

बजे आहत सतेन्द्र के शरीर पर चोटें होने संबंधी कथन के खण्डन के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित है कि दिनांक 14.12.15 को सांय करीब 6 बजे फरियादी सतेन्द्र के शरीर पर तीन चोटें मौजूद थीं। अब इस तथ्य का विवेचन किया जाना है कि क्या फरियादी सतेन्द्र को कारित चोटें अभियुक्त के उपेक्षा अथवा उतावलेपनपूर्ण ढंग से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किए जाने के फलस्वरूप उद्भूत हुई ?

// विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 3 व 4 //

10. तथ्यों व साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

11. फरियादी सतेन्द्र अ0सा0 1 अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन करते हैं कि जब वे मोटरसाईकिल क्र0 एम0पी0-30 एम0एच0-6248 से थाना गोहद चौराहे के सामने पहुंचे तभी मालनपुर की तरफ से एक महिन्द्रा मैक्स क्र0 एम0पी0-30 जी 0411 का चालक उसको तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। साक्षी उक्त घटना की रिपोर्ट प्र0पी0 1 थाना गोहद चौराहे में लिखाए जाने तथा पुलिस द्वारा प्र0पी0 2 का नक्शामौका बनाए जाने का कथन करते हैं जिन पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि अभियुक्त के द्वारा ही घटना दिनांक को उसे टक्कर मारी गयी थी। साक्षी मानसिंह अ0सा0 2 भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि महिन्द्रा मैक्स का चालक तेजी व रोंग साईड (गलत दिशा) में चलाकर आया और मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। यह साक्षी भी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को देखकर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि अभियुक्त ही कथित महिन्द्रा मैक्स गाड़ी चला रहा था। साक्षी मानसिंह अ0सा0 2 मुख्य परीक्षण में कथित वाहन महिन्द्रा मैक्स का नंबर 0411 बताते हैं। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में साक्षी उक्त वाहन का आगे का नंबर एम0पी0-30 बताते हैं।

12. प्रकरण में साक्षी मानसिंह अ0सा0 2 कण्डिका 3 में कथन करते हैं कि टक्कर उनकी गाड़ी में बगल से लगी थी। साक्षी यह भी बताते हैं कि सामने से गाड़ी आ रही थी, उसने उनकी मोटरसाईकिल की तरफ मोड़ दी तो उन्होंने अपनी गाड़ी को होटल में घुसेड़ दी फिर भी कथित महिन्द्रा मैक्स के द्वारा टक्कर मार देने का कथन करते हैं। प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में घटना में लिप्त महिन्द्रा मैक्स के चालक के रूप में अभियुक्त का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। आरक्षक रामकरण अ0सा0 3 वाहन के मैकेनिकल जांचकर्ता हैं जो दिनांक 16.12.15 को उक्त जब्तशुदा वाहन एमपी0-30 जी 0411 जीप लोडिंग महिन्द्रा पिकअप की मैकेनिकल जांच करने पर उक्त वाहन के क्लीनर साईड का मटगार्ड, बंपर पिचका हुआ पाए जाने का कथन करते हैं। साक्षी मैकेनिकल जांच रिपोर्ट प्र0पी0 3 पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षरों को प्रमाणित करते हैं। इस साक्षी के

अभिसाक्ष्य से मानसिंह अ0सा0 2 के कथन की पुष्टि होती है कि उनकी गाड़ी में कथित वाहन बगल से टकराया था।

13. प्रकरण में विवेचक सुरेशदत्त मिश्रा अ0सा0 5 यह कथन करते हैं कि दिनांक 14.12.15 को उन्होंने उक्त वाहन को अभियुक्त से जब्त कर जब्ती पत्रक प्र0पी0 6 बनाया था साथ ही उसे गिर0 कर गिर0 पत्रक प्र0पी0 5 बनाया था। इस प्रकार से घटना दिनांक को ही अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त वाहन जब्त हुआ है। साक्षी उक्त दिनांक को ही वाहन स्वामी का प्रमाणीकरण लिए जाने का कथन करते हैं। गंगाराम अ0सा0 4 को वाहन के स्वामी के रूप में परीक्षित कराया गया जो दिनांक 14.12.15 को उक्त वाहन एम0पी0 30 जी 0411 को अभियुक्त मोनू उर्फ मोहनसिंह के द्वारा चलाए जाने का कथन करते हैं। साथ ही प्रमाणीकरण प्र0पी0 4 दिए जाने जिस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करते हैं। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि वे उक्त वाहन के स्वामी नहीं हैं। प्रकरण में संलग्न पत्रावली में यह दर्शित है कि उक्त वाहन का स्वामी अमजद खान था। ऐसे में प्र0पी0 4 के प्रमाणीकरण का निष्पादक गंगाराम अ0सा0 4 का साक्ष्य अभियुक्त के विरुद्ध कोई सारवान महत्व नहीं रखता है।

14. प्रकरण में जहां फरियादी सतेन्द्र अ0सा0 1 व मानसिंह अ0सा0 2 दोनों के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथित वाहन महिन्द्र मैक्स एम0पी0-30 जी 0411 के चालक के रूप में अभियुक्त के द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किए जाने का स्पष्ट कथन किया है जिसकी अभिपुष्टि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट, जब्ती पत्रक प्र0पी0 6, मैकेनिकल जांच प्र0पी0 3 के दस्तावेजों से हो रही है। उक्त साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रतिपरीक्षण में दर्शित नहीं हुआ है। अभियुक्त की ओर से उसके निर्दोष होने तथा रंजिशन झूठा फंसाए जाने का बचाव लिया है। किन्तु प्रकरण में इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं कि फरियादी सतेन्द्र अ0सा0 1 व मानसिंह अ0सा0 2 की अभियुक्त से किस बात की रंजिश थी। ऐसे में मात्र रंजिश का तथ्य अपने अभियुक्त परीक्षण में लेख कराए जाने से अभियुक्त का बचाव नहीं हो जाता है।

15. प्रकरण में अभियुक्त की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि साक्षी हाकिमसिंह अ0सा0 7 को घटना का साक्षी बताया गया है जो अपने अभिसाक्ष्य में घटना दोपहर के दो बजे की होना बताते हैं। साथ ही कथित मोटरसाईकिल पर उसके पिता मानसिंह के बैठे होने के तथ्य से भी इंकार करते हैं ऐसी दशा में अभियोजन का मामला संदिग्ध होने का तर्क पेश किया है। साक्षी हाकिमसिंह अ0सा0 7 अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में यद्यपि घटना के संबंध में अभियोजन के मामले का समर्थन अक्षरशः नहीं किया है किन्तु इसके बावजूद भी पक्षद्रोही साक्ष्य के संबंध में सुस्थापित विधि है कि उसकी अभिसाक्ष्य का प्रयोग जितना अभियोजन के मामले का समर्थन किया जाता है, उतने विस्तार तक हो सकता है। न्यायदृष्टांत खुज्जी उर्फ सुरेन्द्र

तिवारी विरुद्ध म0प्र0 राज्य ए0आई0आर0-1991 एस0सी0-1853 में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत कि किसी साक्षी के पक्षद्रोही हो जाने से उसकी संपूर्ण साक्ष्य वाश आउट नहीं हो जाती है। न्यायदृष्टांत सिद्धार्थ उर्फ मनु शर्मा विरुद्ध राज्य एन0सी0टी0 दिल्ली (2010) 6 एस0सी0 सी0 1 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी की साक्ष्य में न्यायालय उस विस्तार तक भरोसा कर सकता है जितने तक उक्त साक्षी ने अभियोजन का समर्थन किया हो और ऐसी अभिसाक्ष्य अन्य साक्ष्य से संपुष्ट होती हो। प्रकरण में हाकिमसिंह अ0सा07 ने अपने अभिसाक्ष्य में गोहद चौराहा थाने के सामने फरियादी की मोटरसाईकिल में बुलैरो जैसी मालगाडी के द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने का समर्थन किया है और फरियादी की चोटों का भी समर्थन किया है जो कि अन्य मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से भी समर्थित है। ऐसे में पक्षद्रोही साक्षी हाकिमसिंह अ0सा0 7 का पक्षद्रोही हो जाने से अभियुक्त को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो जाता है।

16. जहां अभियुक्त के द्वारा दि0 14.12.15 को शाम करीब 6 बजे उक्त वाहन एम0पी0-30 जी 0411 को भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर चलाए जाने के संबंध में तथ्य प्रमाणित पाए गए हैं। अभियुक्त की ओर से अभिकथित वाहन को फिटनिश प्रमाणपत्र के बिना चलाया जा रहा था इस संबंध में न्यायालय का ध्यान भारतीय साक्ष्य अधि0 1872 की धारा 106 की ओर आकर्षित होता है जिसमें उपबंधित है कि किसी विशिष्ट तथ्य का ज्ञान किसी व्यक्ति को होने की दशा में ऐसे व्यक्ति पर सबूत का भार होता है कि वह ऐसे तथ्य को प्रमाणित करे। प्रकरण में अभियुक्त को अभिकथित फिटनिश प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना था किन्तु उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में आरोपी मोहनसिंह का उक्त वाहन को बिना वैध फिटनिश प्रमाण पत्र के सार्वजनिक मार्ग पर चलाए जाने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279, 337 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 का आरोप प्रमाणित है कि उसने दिनांक 14.12.15 को समय 18:00 बजे थाने के सामने हाईवे भिण्ड ग्वालियर रोड गोहद चौराहा सार्वजनिक स्थान पर वाहन महिन्द्रा मैक्स क्रमांक एम0पी0-30 जी0411 को उपेक्षा एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, फरियादी सतेन्द्र की मोटरसाईकिल में टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की तथा उक्त समय उक्त वाहन को बिना वैध फिटनिश प्रमाणपत्र के सार्वजनिक मार्ग पर चलाया।

18. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उसे अभिरक्षा में लिया जावे।

19. वर्तमान में सार्वजनिक मार्गों पर उपेक्षा व उतावलेपन पूर्वक वाहन चलाए जाने से तेजी से दुर्घटनाएं बढ रही हैं। घटना में आहत को चोटें कारित हुई हैं। ऐसी दशा में प्रकरण में परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है।

20. अभियुक्त नवयुवक है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं। अभियुक्त के मजदूरी करके उसके परिवार का भरणपोषण किए जाने के संबंध में आधार दर्शित किया है। प्रकरण के निराकरण में कोई सारवान विलंब कारित नहीं हुआ है। अभियुक्त निरंतर उपस्थित रहा है। आहत को आई चोट गंभीर प्रकृति की नहीं हैं। अतः उसे शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279, 337 का अपराध संहिता की धारा 71 के प्रकाश में एक ही संव्यवहार के भाग के रूप में होने से प्रथक प्रथक दण्ड से दण्डित किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं। अतः उक्त प्रावधान के प्रकाश में संहिता की धारा 279 के अधीन अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा मोटरयान अधि० की धारा 56/192 के आरोप में दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दो माह का साधारण कारावास भुगताया जावे।

21. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

22. प्रकरण में जब्त शुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी पर है अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधन मुक्त हो, अपील होने पर मान० अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही/—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही/—

ए०के० गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश